(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में एस० टी० डी० संबंधी क्लीनिकों की कमी को देखते हुए इन रोगों को फैलने से रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री ए० आर० अंतुले): (क) यूनिसेफ ने पिछले पांच वर्षों के दौरान यौन संचारित रोगों की व्याप्तता संबंधी किसी अध्ययन को न तो सहायता दी है और न उससे जुड़ा हुआ है।

(ख) और (ग) यौन संचारित रोगों का शुरू में निदान करके उनका उपचार करने हेतु राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में 504 विशिष्ट यौन संचारिक रोग क्लिनिकों को नगद और सामग्रीगत अनुदान प्रदान करके सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा और परा-चिकित्सा कार्मिकों को लक्षणयुक्त उपायों के आधारपर मामलों के नैदानिक उपचार में प्रशिक्षित किया जा रहा है। संचार के सभी साधनों को जन-जागरूकता पैदा करने हेतु इस्तेमाल किया गया है।

Groundwater Utilisation

*50. SHRIMATI CHANDRA KALA PANDEY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the total irrigated land vis-a-vis the total cultivable land during the last three years, Year-wise and State-wise; and

(b) the State-wise investment made for groundwater utilisation during the above period, year-wise?

THE MINISTER OF HEALTH & FAMILY WELFARE AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI A. R. ANTULAY): (a) and (b) Information is given as per Annexures [*See* appendix 176, Anneuxures No. 14 and 15]

नई परियोजनाओं की घोषणा

*51. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले चार महीनों के दौरान रेल मंत्रालय ने कितनी नई परियोजनाओं की घोषणा की है;

(ख) क्या सरकार के पास इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है और इन सभी नई घोषित परियोजनाओं पर कुल कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है; और

(ग) इस संबंध में तथ्यपूर्ण ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी):

(क) से (ग) 5 करोड़ रुपये प्रत्येक से अधिक की लागत वाली 12 नई परियोजनाओं को, नवंबर/दिसंबर 1995 में संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई, रेल मंत्रालय के लिए अनुदान की पूरक मांगों में शामिल किया गया था, जिनका विवरण निम्नलिखित है:—

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	(कार्य का विवरण	कार्य की लागत)
1.	पनवेल-करजत विद्युतीकृत नई बड़ी लाइन— चरण-1 28.05 कि० मी० (मध्य रेलवे)	89.00
2.	कुर्ला-थाणे चरण-1 (10 कि० मी०) पांचवीं और छठी लाइन (मध्य रेलवे)	48.04
3.	कालीकट-मंगलूरः दोहरीकरण (दक्षिण रेलवे)	240.00
4.	विरार-सूरतः 9 स्टेशनों पर अतिरिक्त लूप (पश्चिम रेलवे)	10.19

क्र० सं०	(कार्य का विवरण	(करोड़ रुपये में) कार्य की लागत)
5.	इलाहाबाद-कानपुरः संपूर्ण रेलपथ नवीकरण (प्राथमिक) 35.78 कि० मी० (उत्तर रेलवे)	21.27
6.	जालंधर-अमृतसरः संपूर्ण रेलपथ नवीकरण (प्राथमिक) 18.29 कि०मी० (उत्तर रेलवे)	9.79
7.	आसनसोल मंडल-मुख्य लाइन के 15 ई एम यू रेकों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं का सृजन (पूर्व रेलवे)	5.43
8.	चित्रदुर्ग-मालडिब्बों की ने०ओ०हा०/आ०ओ० हालिंग के लिए सुविधाएं(दक्षिण रेलवे)	33.84
9.	दिल्ली, अमृतसर, ब्यास, लखनऊ, मुरादाबाद, जोधपुर तथा दिल्ली-पानीपत खंड में यात्री सुखसुविधाओं में वृद्धि	9.67
10.	हावड़ा-खेलकूद परिसर का विकास (पूर्व रेलवे)	8.95
11.	यूनिवर्सल रेडियो संचार	61.76
12.	8 नए मंडलों की स्थापना	104.00
		641.94

उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए यथासमय पर्याप्त निधि की व्यवस्था कर दी जाएगी।

Encroachement of Gram Sabha Land in Delhi

*52. DR. RANBIR SINGH: Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the land of the gram sabha and of private holders in Delhi are lying inter-mingled, due to which the panchayat department find it extremely difficult to administer its land properly and effectively;

(b) if so, the details thereof;

(c) the reasons for not giving permission to exchange land to private holders to ensure clubbing of the gram sabha land and of private holders to check any more encroachments; and

(d) the cases in which the permission to exchange the land/sale of land has been given so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF URBAN EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATION) (SHRI S.S. AHLUWALIA): (a) and (b) Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD) have reported that Gaon Sabha land is intermingled with private holding in almost all villages. No comprehensive survey regarding the extent of inter-mingled land has been conducted by Government of National Capital Territory of Delhi.

(c) The exchange of land is only permissible in cases fulfilling the conditions for such exchange, as per the guidelines issued by Government of National Capital Territory of Delhi on 1.1.96 under the Delhi Land Reforms